(Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010-Loose dated 16.09.2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)
***

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010-Loose Dated: Shimla-171002, the 16 .09.2021.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified vide this Department Notification No. Per(AP)-C-A(3)-4/2010 dated 23rd October, 2017, namely:-

Short title and Commencement	1.	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2021.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-A	2.		In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017:-

(a) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:

"Selection for appointment to the post in the case of direct appointment shall be on the basis of driving/skill test of 85 marks format, template and guidelines to be notified by the State Government followed by evaluation based on the parameters as specified in Appendix-I attached to these rules. The Committee to conduct driving/skill test shall be headed by a senior officer/nominee of the concerned department and invariably include atleast two technical personnel out of Assistant Engineer (HPPWD-Mechanical

Wing), Works Manager/Driving Instructor/ Foreman of HRTC and Motor Vehicle Inspector"

(b) For existing provisions against column number-15-A(IV), the following shall be substituted, namely:

"Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be on the basis of driving/skill test of 85 marks format, template and guidelines to be notified by the State Government followed by evaluation based on the parameters as specified in Appendix-I attached to these rules. The Committee to conduct driving/skill test shall be headed by a senior officer/nominee of the concerned department and invariably include atleast two technical personnel out of Assistant Engineer (HPPWD-Mechanical Wing), Works Manager/Driving Instructor/ Foreman of HRTC and Motor Vehicle Inspector".

By order,

Prabodh Saxena
Addl. Chief Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh

Appendix-I

Evaluation parameters: 15 marks

(i)	Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.02. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1 marks (50x0.02=1)}	2 (two)
(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1(one)
(iii)	Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	1 (one)
(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service.	1 (one)
(v)	NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions.	1 (one)
(vi)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2 (two)
(vii)	Widow/divorced/destitute/single woman.	1 (one)
(viii)	Single daughter/Orphan	1 (one)
(ix)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (1 marks only for each completed year)	5 (five)

*****

हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नि0–III)
......

संख्याः पी.ई.आर. (ए.पी.)–सी–ए (3)–4/2010–लूज़ तारीख शिमला–171002, 16 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.ई.आर. (ए.पी.)–सी–ए (3)–4/2010, तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग– III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबंध–क का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग–III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध–क में:–

(क) स्तम्भ संख्याः 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–। में यथाविनिर्दिष्ट प्राचलों (पैरामीटरों) पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रुपविधान, सांचे (टैम्पलेटं) और मार्गदर्शक सिद्वान्तों वाली 85 अंकों की चालन/कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चालन/कौशल परीक्षा का संचालन करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बन्द्व विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी/नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी और जिसमें सहायक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग–यान्त्रिक विंग), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संकर्म प्रबन्धक/चालक अनुदेशक/फोरमैन और मोटर यान निरीक्षक में से कम से कम दो तकनीकी कार्मिक सर्वदा इसमें सम्मिलित होंगे।"।

जारी.....2...

(ख) स्तम्भ संख्याः 15—क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथाविनिर्दिष्ट प्राचलों (पैरामीटरों) पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रुपविधान, सांचे (टैम्पलेटं) और मार्गदर्शक सिद्वान्तों वाली 85 अंकों की चालन/कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चालन/कौशल परीक्षा का संचालन करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बन्द्ध विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी/नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी और जिसमें सहायक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग—यान्त्रिक विंग), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संकर्म प्रबन्धक/चालक अनुदेशक/फोरमैन और मोटर यान निरीक्षक में से कम से कम दो तकनीकी कार्मिक सर्वदा इसमें सम्मिलित होंगे।"।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार

परिशिष्ट–।

मूल्यांकन प्राचल (पैरामीटर): 15 अंक

(i)	भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के लिए अधिप्रतिनिधित्व। {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.02 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे एक अंक अनुज्ञात किए जाएंगे (50×0.02=1)}	2 (दो)
(ii)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	1 (एक)
(iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।	1 (एक)
(iv)	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नही है।	1 (एक)
(v)	एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	1 (एक)
(vi)	बी. पी. एल. कुटुम्ब या ₹40,000/- से कम (समस्त स्रोतो से) या जो समय–समय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, वाले कुटुम्ब।	2 (दो)
(vii)	विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल नारी।	1 (एक)
(viii)	इकलौती पुत्री/अनाथ।	1 (एक)
(x)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल एक अंक)	5 (पांच)

****